राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

1.अपील संख्या 914/2013/अलवर
2.अपील संख्या 915/2013/अलवर
3.अपील संख्या 916/2013/अलवर

मैसर्स रिमझिम स्टैनलेस लिमिटेड,
भिवाडी, अलवर — अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन, राज., वृत–III, जयपुर — प्रत्यर्थी

4.अपील संख्या 695/2013/अलवर
5.अपील संख्या 696/2013/अलवर
6.अपील संख्या 697/2013/अलवर

मैसर्स रिमझिम स्टैनलेस लिमिटेड,
भिवाडी, अलवर — अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन, राज., वृत–III, जयपुर — प्रत्यर्थी

7.अपील संख्या 1393/2013/अलवर
8.अपील संख्या 1394/2013/अलवर
9.अपील संख्या 1395/2013/अलवर

सहायंक आयुक्त प्रतिकरापवंचन,
वृत–तृतीय, अलवर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रिमझिम स्टैनलेस लिमिटेड,
भिवाडी, अलवर — प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री विक्रम गोगरा
अभिभाषक — अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक 23.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से क्रम संख्या 1 से 6 तक अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 85 से 87/आरवैट/2012–13/उपा–अपील्स/अलवर व अपील संख्या 82 से 84 आरवेट/2012–13/उपा–अपील्स में पारित क्रमशः आदेश दिनांक 21.01.2013 व दिनांक 29.01.2013 के

विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपील संख्या क्रमांक 4 से 6 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियां आरोपित की गई है, जिनके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होनें आरोपित कर व ब्याज को यथावत रखते हुये शास्तियों को अपास्त किया है। कर एवं ब्याज यथावत रखते हुए के विरूद्ध व्यवहारी की ओर से एवं शास्तियां अपास्त किये जाने के विरुद्ध विभाग की ओर से अपील संख्या क्रमांक 7 से 9 पर अंकित अपीलें प्रस्तुत की गई है।

2. चूंकि सभी अपीलों में निर्णय हेतु समान बिन्दु निहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, आदेश की प्रतियां प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रथम तीन अपीलों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज. वृत–III, जयपुर (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की के नियम 3 के तहत् वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के पारित आदेश दिनांक 22.06.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत कर क्षेत्राधिकार का बिन्दु विवादित किया गया है।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की आरे से कथन किया गया है कि करापवंचन की शाखा के अधिकारियों को व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण अविधिक तरीके से क्षेत्राधिकार प्राप्त कर किया गया है इसलिये अविधिक तरीके से क्षेत्राधिकार प्राप्त कर कार्यवाही करते हुये उसके आधार पर मांग सृजित किया जाना अविधिक है।

5. विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, राज. जयपुर की अधिसूचना P3(a)(16) TAX / CCT / 2010 /2239 दिनांक 31.03.2011 एवं अधिसूचना क्रमांक P3(a)(10) TAX / CCT/ 97/2250 दिनांक 31.03.2011 का उल्लेख करते हुये कंथन किया गया उक्त दोनों अधिसूचनाओं के तहत समस्त सहायक आयुक्त / वा.क.अ. / स.वा.क.अ. को अधिनियम की धारा 75 व 76 के अधीन स्वयं द्वारा बनाये गये अभियोगों के निस्तारण की शक्तियों को छोडकर अन्य सभी शक्तियों के प्रयोजनार्थ उच्चाधिकारी की क्षेत्राधिकारिता प्रदान की गई है। अतः अपीलार्थी के इस कथन का खंडन करते हुय कि करापवंचन शाखा के अधिकारियों को क्षेत्राधिकारिता प्राप्त नहीं है, का तर्क देना उचित नहीं है।

6. क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया गया। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा बताई गई अधिसूचना को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विवादित मामले में क्षेत्राधिकार के संबंध में उठाई गई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है,

क्योंकि विवादित मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण किया जाकर अभियोग बनाया गया तथा सशक्त अधिकारी के आदेश क्रमांक 4901 दिनांक 17.02.2012 के क्रम में अपीलार्थी के प्रकरण में अतिरिक्त आयुक्त (वैट एण्ड आई.टी.) वाणिज्यिक कर विभाग राज0, जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 13.06.2012 के उपरान्त आयुक्त महोदय की अधिसूचना क्रमांक 2239 दिनांक 31.03.2011 व अधिसूचना क्रमांक 542 दिनांक 07.08. 2009 यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 2250 दिनांक 31.03.2011 के प्रावधानों के अनुसार ही विवादित मामले में सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। इसलिये उक्त अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार विवादित मामले में सशक्त अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को क्षेत्राधिकार के आधार पर अविधिक नहीं ठहराया जा सकता है। अतः क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत तीन अपीलें अस्वीकार की जाती है।

7. क्रम संख्या 4 से 6 पर अंकित अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि स.वा. क.अ. घट–तृतीय, जयपुर द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) प्रतिकरापवंचन के निर्देशानुसार अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 06.09.2011 को किया गया। सर्वेक्षण के दौरान वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में बिक्रीत उत्पाद स्टैनलेस स्टील वायर (रॉड/रोल) पर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "वैट अधिनियम" कहा जायेगा) की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 42 के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया जा रहा था, जबकि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 14(IV) में वर्णित घोषित माल आयरन व स्टील के श्रेणी में अधिसूचित नहीं होने के कारण उक्त माल पर वैट अधिनियम की अनुसूची–V के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में उक्त माल पर 14 प्रतिशत से कर योग्य माना है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त बिक्रीत माल पर 10 प्रतिशत की कर दर से कम कर वसूल किया जाकर कर का परिवर्जन/अपवर्जन किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 25.06.2012 को पारित करते हुये कर, ब्याज व शास्तियों का आरोपण किया है। उक्त आरोपित कर, ब्याज व शास्तियों से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलें प्रस्तुत करने अपीलीय अधिकारी ने कर व ब्याज को यथावत रखते हुये आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है। कर व ब्याज को यथावत रखने के विरुद्ध व्यवहारी की ओर से एवं शास्तियां अपास्त किये जाने के विरुद्ध विभाग द्वारा अपीलें प्रस्तुत की गई।

8. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वैट अधिनियम की अनुसूची–IV प्रविष्टि संख्या 42 से आच्छादित होने के कारण बिक्रित माल पर दिनांक 08.03.2010 तक कर दर 4 प्रतिशत थी एवं दिनांक 09.03.2010 से

उक्त प्रविष्टि को वैट अधिनियम की अनसूची–IV से हटाकर प्रविष्टि संख्या 07 में कर दी जाने के कारण 09.03.2010 से 5 प्रतिशत से कर आरोपणीय है उनका कथन है कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के क्लॉज IV की उप प्रविष्टि संख्या (IV) के अनुसार घोषित वस्तु होने के कारण दिनांक 14.04.2011 तक 4 प्रतिशत एवं दिनांक 15.04.2011 से 5 प्रतिशत की कर देयता है।

9. उन्होनें अग्रिम कथन किया कि अधिसूचना दिनांक 06.03.2013 को प्रस्तुत करते हुये वैट अनुसूची–V की प्रविष्टि संख्या 201 में उक्त बिक्रित माल की कर दर 5 प्रतिशत घोषित है। इसी प्रकार उन्होनें अधिसूचना दिनांक 06.03.2013, 14.07.2014 एवं 18.07.2014 को प्रस्तुत करते हुये बिक्रीत उत्पाद पर कर दर 4 प्रतिशत होने का कथन किया। उन्होनें उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को कर व ब्याज के बिन्दु पर अपास्त करने का निवेदन किया।

10. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में कथन किया किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर योग्य विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है। चूंकि हस्तगत अपीलों में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। इस संबंध में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री कृष्णा इलेक्ट्रिक्लस बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू (23 VST 249) के प्रकरण में पारित निर्णय का हवाला दिया। उन्होनें शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित बताया है।

11. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को कर व ब्याज के बिन्दु पर समर्थन करते हुये इन बिन्दुओं पर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया। साथ ही बहस के दौरान व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अधिसूचना दिनांक 06.03.2013, 14.07.2014 एवं 18.07.2014 से सहमति व्यक्त करते हुए व्यवहारी द्वारा बिकी उत्पाद को 4 प्रतिशत से कर योग्य होने का मन्तब्य उप राजकीय अभिभाषक द्वारा व्यक्त किया गया।

12. उभयपक्षीय बहस सुनी गई, उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत की गई अधिसूचनाओं का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से बहस के दौरान प्रस्तुत की गई अधिसूचना दिनांक 06.03.2013, 14.07.2014 एवं 18.07.2014 के अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद पर 4 प्रतिशत से कर देयता घोषित है। और अपीलार्थी व्यवहारी ने 4 प्रतिशत से बिक्रीत उत्पाद पर कर वसूल कर राजकोष में

जंमा कराया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अधिसूचनाओं की अनदेखी करते हुये व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद पर 14 प्रतिशत से कर देयता मानकर 10 प्रतिशत से अंतर कर एवं उक्त कर की अदेयता मानकर ब्याज आरोपित किया गया है जो कि पूर्णतः अनुचित है। अतः कर व ब्याज के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाकर कर एवं ब्याज के बिन्दुओं पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

13. जहां तक धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति का प्रश्न है प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने कर योग्य विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है। चूंकि हस्तगत अपील में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं मानकर अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61(1) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है,जो उपरोक्त प्राद्धिरित न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप है। अतः अधिनियम की धारा 61(1) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर विभाग की ओर से शास्ति के बिन्दु पर प्रस्तुंत की अपीलें अस्वीकार की जाती है।

14. प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर उपरोक्तानुसार अपीलों का निस्तारण किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि कर निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 97A की पालना करते हुये यह सुनिश्चित करें कि व्यवसायी ने यदि कर राशि बिलों में वसूल कर जमा कराई है तो उसका प्रतिदाय नहीं दिया जावे । धारा 97ए की पालना करने के पश्चात प्रतिदाय देने की कार्यवाही की जावे।

15. फलतः क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 914 से 916/2013/अलवर एवं शास्ति के बिन्दु पर विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील संख्या 1393 से 1395/2013/अलवर अस्वीकार की जाती हैं तथा कर एवं ब्याज के बिन्दु पर प्रस्तुत की गई व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील संख्या 695 से 697/2013/अलवर स्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष